1825 29-06-2021

दिनांक– 25.06.2021 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ Zoom के माध्यम से की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– Zoom App के अनुसार संधारित।

दिनांक–25.06.2021 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप की अध्यक्षता में सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ Zoom के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में पूर्व से निर्धारित निम्नांकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गएः–

1. नवचयनित अंचलों में शिविर गठित करने एवं कार्य प्रारंभ करने की रूप–रेखा।
2. प्राथमिकता के आधार पर चयनित राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण कार्यों के पूर्ण किया जाना।
3. अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र के सम्बन्ध में की जाने वाली कृत कार्रवाई।
4. प्रपत्र–6 में की जानेवाली प्रविष्टियों के संधारण में आने–वाले कठिनाईयाँ।
5. R2R सॉफ्टवेयर में शिविर गठन एवं कर्मियों का पदस्थापन।
6. विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में त्रि–सिमानों पर लगाए जाने वाले पिलर के क्रियान्वयन की कठिनाईयाँ।
7. अन्यान्य।

1. **नवचयनित अंचलों में शिविर गठित करने एवं कार्य प्रारंभ करने की रूप–रेखाः–** निदेशालय के पत्रांक–1678 दिनांक–15.06.2021 के आलोक में वर्त्तमान समय में वर्षा एवं बाढ़ के कारण विशेष सर्वेक्षण कार्य में आनेवाली बाधा को देखते हुए उन सभी अंचलों में जहाँ अभी विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रवर्त्तमान नहीं है, में 131 अंचलों में शिविर का गठन किया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में सर्वप्रथम गठित किए गए शिविरों में सम्बद्ध किए गए ग्रामों की भौगोलिक स्थिति इत्यादि को धरातलीय वास्तविकता के आधार पर जाँच करने का निदेश दिया गया। बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा नए शिविरों को गठित कर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में आनेवाली निम्नांकित कठिनाईयों एवं सुझावों से अवगत कराया गयाः–

(i) नए शिविरों को गठित कर कार्य प्रारंभ करने से वर्त्तमान कार्यरत शिविरों की कार्य प्रगति प्रभावित होगी एवं दोनों शिविरों में एक साथ काम करने से कार्य का दबाव बढ़ेगा और गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना होगी।

(ii) वर्त्तमान में कार्यरत कर्मियों की संख्या के आधार पर शेष अंचलों ग्रामों को दो भागों में विभक्त कर शिविर गठित किया जाना ज्यादा व्यावहारिक होगा खासकर अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ जैसे जिलों में जहाँ वर्त्तमान में केवल 1 या 2 अंचलों में ही कार्य किया जा रहा है।

(iii) नए शिविरों को गठिनत कर शिविरों का स्थान चयन कर देने एवं उनमें पुराने शिविरों के साथ–साथ सीमित स्वरूप में कार्य करने से रैयतों द्वारा नए शिविरों में कर्मियों को खोजा जाएगा और इस परिस्थिति में दो स्थानों पर कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना संभव नहीं हो पाएगा।

(iv) अभी वर्त्तमान में जितने शिविर कार्यरत हैं, शेष अंचलों में उतने ही शिविर गठित किए गए एवं कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर ही उनके नए शिविर/ग्राम सम्बद्ध किए जाएं।

(v) नवगठित किए जाने वाले शिविरों के सम्बन्ध में जिला स्तरीय उद्घोषणा नहीं की जाए, केवल प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी) को संधारित करने का कार्य किया जाए।

(vi) रैयतों से प्राप्त की जानेवाली प्रपत्र–2 एवं 3(1) क्रमशः स्वघोषणा एवं वंशावली को ऑनलाईन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए।

उक्त के आलोक में विमर्शोपरान्त सभी बिन्दुओं के संबंध में निम्नांकित निर्णय लेते हुए आवश्यक निदेश दिए गए।

(i) नवगठित किए जाने वाले शिविरों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवनियोजित कर्मियों के समय की अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना है। वर्त्तमान के विशेष सर्वेक्षण कार्य में वर्षा एवं बाढ से अप्रभावित शिविरों में भी एजेंसी को मानचित्र देने एवं उससे अपडेट कर पुनः प्राप्त करने के मध्य में खाली समय का उपयोग भी आवश्यक है।

(ii) नवगठित किए जाने वाले शिविरों/ग्रामों को दो भाग में बांटने का निर्णय बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्षत्र एवं कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर लिया जाना उचित होगा।

(iii) नए शिविरों का गठन कर कार्य प्रारंभ करने के संबंध में तैयार कार्य योजना के अनुसार केवल सिमित कार्यों को ही किया जाना है, जिनमें स्वघोषणा वंशावली प्राप्ति को छोड़कर शेष कोई भी कार्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है। स्वघोषणा की प्राप्ति संबंधित ग्रामों में तिथि एवं कर्मी नियत कर की जा सकती है। साथ ही स्वघोषणा/वंशावली को निदेशालय स्तर पर ऑनलाईन अपलोड किए जाने संबंधी आवश्यक उपाय किए जा रहे है।

(iv) नए अंचलों/ग्रामों को कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर ही गठित किए जाने के संबंध में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस तथ्य पर भी विचार किया जा सकता है। R2R के माध्यम से शिविर गठित कर लिए जाएँ किन्तु ग्रामों की उदघोषणा कर्मियों की उपलब्धताके आधार पर ही दी जाए।

(v) नवगठित शिविरों में केवल प्रपत्र–5 के संधारण संबंधी कार्य करने से कार्य के विकल्प सिमित हो जाऐगी और विशेषैत वर्त्तमान में वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित शिविरों/ग्रामों के कर्मियों का कार्य क्षेत्र अत्यन्त सिमित हो जाएगा।

बैठक में उपस्थित सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि निम्नाकिंत प्रपत्र में नवगठित शिविरों एवं उनमें किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सूचना तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए:–

नवगठित शिविर/कर्मी संबंधी सूचना

जिला का नामः–

अंचल	शिविर का नाम	चिन्हित शिविर मुख्यालय/स्थान भवन का नाम	उपस्थित होनेवाले पर कर्मी का नाम	जुलाई माह में कर्मी के उपस्थिति की तिथियाँ

चयनित ग्रामों में कार्यों का सम्पादन

जिला का नामः–

ग्राम का नाम	संबद्ध अमीन का नाम	उद्घोषणा की तिथि	अमीन द्वारा भ्रमण की तिथियाँ	ग्राम सभा की तिथि	तेरीज लेखन व फार्म–5 की इंट्री की अंतिम तिथि

2. **प्राथमिकता के आधार पर चयनित राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण कार्यों को पूर्ण किया जानाः–** बैठक में इस बिन्दु पर सर्व सहमति व्यक्त की गई विशेष सर्वेक्षण कार्य में आनेवाली कठिनाईयों को देखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य के कुछ ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर जल्द–से–जल्द पूर्ण किया जाए ताकि इनके आधार पर की समस्या का समाधान किया जा सके। बैठक में बताया गया कि निदेशालय स्तर से लगभग 64 ग्रामों में कार्य पूर्ण करने के लिए प्रक्रमवार कार्य पूर्ण करने की तिथि निर्धारित की गई है।

उच्च स्तरीय पर होनेवाली विशेष सर्वेक्षण की समीक्षा के आलोक में सितंबर–अक्टूबर, 2021 तक कुछ चयनित राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। सुपौल, शेखपुरा, बेगूसराय और मुंगेर के बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वैसे चयनित ग्राम जिनमें विगत् 1–2 वर्षों से विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, में सघन एवं सतत् अनुश्रवण करते हुए यथाशीघ्र कार्य पूर्ण किया जाए।

3. **अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र के सम्बन्ध में की जानेवाली कृत कार्रवाईः–** बैठक में निदेशालय द्वारा निर्गत पत्रांक–1692, दिनांक–16.06.2021 के आलोक में अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र के सम्बन्ध में चरणबद्ध रूप से किए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया गया।

4. **R2R सॉफ्टवेयर में शिविर गठन एवं पदस्थापनः–** बैठक में स्पष्ट किया गया कि नवगठित किए जाने वाले शिविरों एवं कर्मियों की टैगिंग सॉफ्टवेयर में संधारित नहीं किए जाने की स्थिति में कर्मियों द्वारा भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में कार्यों प्रगति को संधारित नहीं किया जा सकेगा। अतः आवश्यक है कि R2R सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिविरों का गठन करते हुए उनमें कर्मियों को टैग किया जाए। इस सॉफ्टवेयर में आदेश अंकित करने की भी सुविधा दी गई है। R2R सॉफ्टवेयर में अतिरिक्त शिविर में टैगिंग की सुविधा शीघ्र ही Functional कर दी जाएगी, जिसके पश्चात् कर्मियों को अधिकतम एक और शिविर के मौजों के साथ R2R में टैग किया जा सकेगा। कुछ बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा सॉफ्टवेयर संचालन संबंधी कुछ कठिनाईयों को बताया गया जैसे एक शिविर से दूसरे शिविर में करना, कर्मियों की छुट्टी पर जाने की स्थिति में दूसरे कर्मी की टैगिंग इत्यादि। आई0टी0 सेल, प्रभारी द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में सॉफ्टवेयर में Multiple Tagging की सुविधा नहीं की गई है, जिससे शीघ्र ही Functional किया जाएगा ताकि सॉफ्टवेयर संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।

बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि टैग किये गये मौजों के नाम या RT नं0 में सुधार करने के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से पत्र दिया जाए एवं R2R सॉफ्टवेयर सम्बन्धी अन्य समस्याओं के संबंध में आई0टी0 सेल से संपर्क कर निदान किया जाए।

5. **विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में त्रि–सिमानों पर लगाए जाने वाले पिलर के क्रियान्वयन की कठिनाईयाँः–** सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया पिलर के निर्माण एवं निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के परिवहन व्यय के अतिरिक्त निर्धारित स्थान पर पिलरों के अधिष्ठापन एवं निर्मित पिलरों के परिवहन पर अतिरिक्त राशि व्यय होगी। शेखपुरा एवं अररिया द्वारा बताया गया कि स्थानीय एजेंसी द्वारा अधिष्ठापन एवं परिवहन के साथ पिलर अधिष्ठापित करने का व्यय लगभग 1450 रूपये दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि प्राक्कलन के अतिरिक्त लगभग 400–450 रूपये अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है।

उक्त के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि पिलर के निर्माण हेतु प्राक्कलन की राशि 870 रूपये एवं सामग्री परिवहन की जिला के अनुसार तय की गयी राशि के अतिरिक्त प्रति पिलर परिवहन एवं अधिष्ठापन संबंधी व्यय को जिलावार निर्धारित करने के लिए अलग से टेंडर किया जाए एवं कार्यालय मद/पिलर संबंधित मद में प्राप्त आवंटन से इसका व्यय किया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार व्यय का आकलन कर आवंटन की मांग की जाए।

6. **अन्यान्यः**– बैठक में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा निम्नांकित विविध बिन्दुओं पर भी सुझाव देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

(i) जिलों को दिए जाने वाले आवंटन को Rationalise किया जाए।

(ii) आकस्मिकता मद (Contingency) में अतिरिक्त आवंटन दिया जाए ताकि बन्दोबस्त कार्यालय को और सशक्त बनाया जा सके।

(iii) बन्दोबस्त पदाधिकारियों के लिए राज्य स्तर से परिचय पत्र निर्गत किए जाएं।

(iv) शिविरों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड को रखने पर विचार किया जाए एवं इसके लिए विशेष सेवाएं मद में आवंटन दिया जाए।

(v) राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायती सरकार भवन में सुरक्षा के लिए रखे जाने वाले चौकीदार के लिए बनाए गए प्रावधान के आलोक में पंचायती राज विभाग से संपर्क स्थापित कर पंचायत सरकार भवन में चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति कराई जाए ताकि वहाँ चल रहे विशेष सर्वेक्षण शिविरों को सुरक्षा प्राप्त हो सके।

(vi) अररिया के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा विशेष अनुरोध किया गया कि जिला स्तर पर विधि व्यवस्था एवं बाढ़ में प्रतिनियुक्त समाप्त करने का अनुरोध राज्य स्तर से समाहर्त्ता को किया जाए। इस सम्बन्ध में सभी जिला को पत्र देने की आवश्यकता पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

(vii) जिन स्थानों पर सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी नहीं है या आवश्यकता से कम हैं, वहाँ नियमित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाए।

(viii) विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों एवं संविदा अमीनों का अवधि विस्तार किया जाए। इस सम्बन्ध में सभी को यथास्थिति संतोषजनक सेवा होने का प्रमाण–पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उक्त सभी बिन्दुओं से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को दिया गया एवं धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(जय सिंह)
29/06/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84/2019.....1825.....पटना, दिनांक :–29-06-2021

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बांका, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17–वि0सर्व0(कार्यवाही)–84 / 2019.....1825.....पटना, दिनांक :–29-08-2021

प्रतिलिपिः–सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बांका, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17–वि0सर्व0(कार्यवाही)–84 / 2019.....1825.....पटना, दिनांक :–29-08-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17–वि0सर्व0(कार्यवाही)–84 / 2019.....1825.....पटना, दिनांक :–29-08-2021

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17–वि0सर्व0(कार्यवाही)–84 / 2019.....1825.....पटना, दिनांक :–29-08-2021

प्रतिलिपिः– प्रभारी, *विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / जी0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 29/8/21